(15)

// पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल //

क्रमांक: पुमु/कल्याण/आवास/ टी-4/ 213 /2020 दिनाँक 11/02/2020

प्रति,

समस्त पुलिस इकाईयाँ

मध्य प्रदेश ।

विषय:- आवंटित आवास का अधिपत्य न लेने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी की आवास प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में ।

-----0-----

आवास प्रतीक्षा सूची के आधार पर आवंटित आवास कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कारणों जैसे :- आवास की लोकेशन/दूरी, आवास की भौतिक स्थिति ठीक न होने एवं ऊपरी मंजिल का आवास आदि कारणों से आवंटित आवास का अधिपत्य नहीं लिया जाता है एवं प्रतीक्षा सूची में अपनी वरिष्ठता यथावत रखने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाते है।

2. संपदा संचालनालय, भोपाल द्वारा जारी भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के नियम 16(6) में **"आवंटन आदेश का पालन आवंटिती द्वारा नहीं किए जाने पर उसे आगामी एक वर्ष की कालावधि के लिए आवास आवंटन की पात्रता से वंचित किया जाएगा"** का उल्लेख है ।

3. अत: ऐसे प्रकरणों जिनमें कर्मचारियों द्वारा आवंटित आवास का अधिपत्य नहीं लिया जाता है संबंधित कर्मचारी की आवास प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता पूर्ववत रहेगी, लेकिन उनके नाम के सम्मुख " उन्हें आवंटित आवास के आदेश दिनाँक से 01 वर्ष तक आवास आवंटन हेतु पात्रता नहीं " अंकित किया जावें अर्थात आवास आवंटन हेतु पुन: उनके नाम पर 01 वर्ष की अवधि उपरांत ही विचार किया जावें ।

4. भविष्य में आवास आवंटन हेतु जारी आदेशों में उपरोक्त नियम 16(6) की उल्लेखित कंडिका का समावेश करें ।

07/02/2020

(कैलाश मकवाणा)

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन)

हेतु- पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश

पुलिस मुख्यालय, भोपाल

क्रमश:- 2

क्रमांक: पुमु/कल्याण/आवास/ टी-4/ 213 /2020 दिनाँक 17/02/2020

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त विशेष पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, भोपाल ।
2. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, भोपाल ।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल/दूरसंचार म.प्र.भोपाल ।
4. समस्त अमनि/ पुलिस महानिरीक्षक जोन म.प्र. ।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक विसबल रेंज म.प्र. ।
6. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज म.प्र. ।
7. निज सचिव, पुलिस महानिदेशक म.प्र. भोपाल ।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन)
हेतु- पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश
पुलिस मुख्यालय, भोपाल